

FORM NO.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत :- जिला कलेक्टर पाली

अपीलांट:-

बनाम

रेस्पोंडेन्ट :-




श्री बंशीलाल घांची, 349, बजरंग नगर,
पाली

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) रोहट

किस्म मुकदमा RTI APPEAL-- 108 /2019

R.C.M.S. No. --2019/00 204

अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम-2005

तारीख	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
18/09/19	<p>अपीलांट ने यह अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश कर निवेदन किया है कि कार्यालय लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) रोहट ने उनके द्वारा चाही गई सूचना उपलब्ध नहीं करवाए जाने से अपील न्यायालय में पेश की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। रेस्पोंडेन्ट अपना पक्ष रखने हेतु तलब होकर एवं सूचना अपीलाण्ट को दी जाकर पत्रावली दिनांक 4/10/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलेक्टर, पाली</p>	1470-91 21/9/19
4/10/19	<p>तह. रोहट से मोबरिल से वॉल के डायरेक्टरी की सूचना प्रेषित नहीं की गई है एक भ्रमण किया जाकर पत्रावली दिनांक 18/10/19 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलेक्टर, पाली</p>	
18/10/19	<p>पत्रावली आज पेश हुई।</p> <p>मह. अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत पेश का निवेदन किया है कि लोक सूचना अधिकारी तह. रोहट से वांछित सूचना उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित कराया।</p> <p>इस भ्रमण द्वारा लिखा गेतालेख सूचना अधिकारी तह. रोहट ने सफल कराया कि अपी. द्वारा वांछित सूचना लेख रिकॉर्ड काल के तहत तलब प्राप्त कर ली जा सकती है तथा इस सम्बन्धित रिकॉर्ड तह. के पास रहता है मुझे पोचपदरिया के लिख जाकर श्री. बंशीलाल को जारी पत्रांक 1542 डि. 23-9-2019 के अन्तर्गत करवाया है।</p> <p>इस अपील में तह. रोहट या किसी भी प्रकार की कार्यवाही को प्रेषित नहीं होने से मह. अपील निरस्त की जाती है। पत्रावली ब्युगाटफैसल की जाकर न्याय से कर हो।</p> <p style="text-align: right;"> जिला कलेक्टर, पाली</p>	